श्रीरामजी

कृषि भूमि का विक्रय पत्र

अजीतसिंह आदि विक्रेता
बाबा भगवानदास पब्लिक शिक्षा समिति, जाट बहरोड
जरिये सचिव सुभाष चौधरी आदि केतागण
प्रति है0 607000/— रू0

कीमत —1,30,260/— रू0
स्टाम्प —9000/— रू0

स्टाम्प नग —5

विकय भूमि —0.195 है0.

यह विकय पत्र आज दिनांक 29.4.2009 को अजीतसिंह उम्र 43 साल, सुभाषचन्द उम्र 34 साल, सुरेन्द्रसिंह उम्र 36 साल, सुभाषचन्द उम्र 34 साल, पुत्रान श्री प्रभातसिंह जाति जाट निवासी जाटबहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

जिसे आगे विकेतागण कहां गया हैं एवं जो इस विकय पत्र के प्रथम पक्षकार हैं 1

एवं

बाबा भगवानदास पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, जाट बहरोड, अलवर { रजि0 नं0 76/अलवर / 94–95 } [redacted] / [redacted] जरिये सचिव श्री सुभाष चौधरी पुत्र श्री प्रभात जाति जाट उम्र करीब 34 साल व्यवसाय प्राईवेट सर्विस व कोषाध्यक्ष श्रीमति रमेश देवी धर्मपत्नि श्री अजीतसिंह उम्र करीब 41 साल जाति जाट व्यवसाय प्राईवेट सर्विस निवासीयान ग्राम जाटबहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

जिसे आगे केतागण कहां गया हैं एवं जो इस विकय पत्र की द्वितीय पक्षकार हैं के मध्य

निष्पादित किया गया हैं 1

उप पंजीयक

{2}

चूकिं प्रथम पक्ष की कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.27 हे0 चाही

अलिफ का 13/18 हिस्सा जो राजस्व ग्राम जाटबहरोड़ तहसील मुण्डावर जिला अलवर { राज0 }

में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल निम्न प्रकार हैं :–

क्षेत्रफल { हे0 } 0.195 हे0.
आबादी /सडक से दूरी –1 कि0मी0
जमाबन्दी के अनुसार भूमि की किस्म – चाही अलिफ

सिंचाई का साधन{ यदि कोई हो } नही

उक्त भूमि का स्वामित्व प्रथम पक्षकार विकेता का हैं 1 प्रथम पक्षकार उक्त भूमि को विकय करना चाहता हैं उक्त भूमि को विकय करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हैं 1 प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व भूमि को किसी अन्य को विकय दान, बन्धक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नही किया है तथा उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष ही काबिज हैं तथा निरन्तर उसके स्वामित्व में हैं 1 उक्त भूमि पर कोई ऋण , कर एवं अन्य प्रभार बकाया नही हैं और न ही किसी अदालती कार्यवाही मे उक्त भूमि विवादास्पद हैं 1 उक्त भूमि स्वत्व की दृष्टि से हर तरह से पाक एवं साफ हैं जिसका एक मात्र स्वामी प्रथम पक्षकार हैं 1

{3}

चूंकि प्रथम पक्ष को अपने निजि एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है , इसलिए उक्त भूमि को 1,30,260 / –रूपये अक्षरे एक लाख तीस हजार दो सौ साठ रूपये जिसके आधे 65130 / –रू0 होते हैं में विकय का प्रस्ताव प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के समक्ष रखा जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया हैं 1

अतएवं यह विकय –पत्र साक्ष्याकित करता हैं :–

1– यह है कि उक्त विकेता प्रथम पक्ष ने केता द्वितीय पक्ष से उक्त भूमि के प्रतिफल की राशि 1,30,260 / –रूपये अक्षरे एक लाख तीस हजार दो सौ साठ रूपये प्राप्त कर लिये हैं तथा अब कुछ भी लेना शेष नही हैं 1

2– यह कि भूमि का कब्जा केता को सम्मला दिया हैं

3– यह कि उक्त भूमि सभी प्रकार के भारो एवं प्रभारो से मुक्त हैं 1 उक्त विकय पत्र की दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारो का दायित्व विकेता का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभारो का दायित्व द्वितीय पक्ष केता का होगा 1 भूमि के स्वामित्व संबंधी त्रुटि के लिए विकेता प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा 1

4– यह कि इस विकय पत्र के निष्पादन की तिथि से उक्त भूमि का स्वामित्व केता में निहित हो गया हैं एवं वह स्वयं उसका उत्तराधिकारी एवं वारिस या अभिहस्ताकिती उसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेगे जिसमें विकेता , उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बांधा नही डालेगें 1

उप पंजीयक

{4}

5– यह है कि इस विकय पत्र के निष्पादन की तिथि से केता उक्त भूमि को किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपभोग व निष्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

6– यह कि उक्त भूमि पर कोई कर आदि बकाया नही हैं तथा भविष्य में देय करो का भुगतान केता द्वारा किया जायेगा ।

7– इस विकय पत्र पर देय मुद्रांक कर का दायित्व केता का होगा ।

अतंएव उपरोक्त शर्तो के साक्ष्य स्वरूप दोनो पक्षकारो ने बिना किसी दबाव के तथा अपने पूर्ण होश हवाश में निम्नलिखित दो गवाहो के समक्ष हस्ताक्षर किये हैं ।

बकलम सतीश कुमार गुप्ता वसीका नवीस मुण्डावर जिला अलवर राज0

दिनांक–29.4.2009

सचिव
बाबा भगवान दास शिक्षा समिति
बाट बहरोड (अलवर)

कोषाध्यक्ष
बाबा भगवान दास शिक्षा समिति
बाट बहरोड (अलवर) राज•

गवाह –1–

गवाह – 2–